कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, भूतल, वन भवन, लिंक रोड नम्बर–2, तुलसी नगर, भोपाल (म0प्र0)
दूरभाष : 0755–2674206, 2674226, 2674248, 2524275 E-mail pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / पर्यटन / व.प्रा. / 2024 / F-25 / 9787 भोपाल, दिनांक 04.11.2024

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिज़र्व म.प्र.।
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, म.प्र.।
समस्त वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल म.प्र.।
(जिनके अधीन अभयारण्य हैं)

विषय :– अधिसूचना के प्रकाशन बावत्।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 नवम्बर, 2024

–0–

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित मध्यप्रदेश राजपत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके तारतम्य में लेख है कि मध्यप्रदेश वन्यप्राणी संरक्षण नियम, 1974 के नियम–34 (पर्यटन नियम) के अतर्गत दिनांक 01 नवम्बर, 2024 को जारी हुये है जो कि राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे। उक्त संशोधित मध्यप्रदेश राजपत्र कि हिन्दी व अंग्रेजी प्रति आपकी ओर प्रेषित है। अतः मध्यप्रदेश राजपत्र में संशोधित दरों एवं प्रक्रियाओं का तत्काल पालन किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

4/11/24

(सौरव कुमार काबरा)
सहायक वन संरक्षक (वन्यजीव)
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / पर्यटन / व.प्रा. / 2024 / F-25 / 9788 भोपाल, दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. की ओर संदर्भित मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 नवम्बर, 2024 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. श्री शालिन विर्मानी, वरिष्ठ प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड, चतुर्थ तल, डी.बी.मॉल, भोपाल म.प्र. की ओर संदर्भित मध्यप्रदेश राजपत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/11/24

सहायक वन संरक्षक (वन्यजीव)
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 14-82-1988-दस-2 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 28 सहपठित धारा-64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 3(4) में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर हेतु प्रवेश शुल्क की तालिका (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(क) शुल्क तालिका

क्र.	भ्रमण का प्रकार	पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रू. में)
1	पैदल भ्रमण (प्रति व्यक्ति)	25
2	• स्वयं की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति)	30
	• वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति)	40
3	दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)	80
4	ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)	120
5	हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले)	300
6	हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक की क्षमता वाले)	500
7	मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)	1,100
8	बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले)	2,200
9	• गोल्फ कार्ट से भ्रमण (दरें प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त)	
	प्रति व्यक्ति	60
	5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	40
	5 वर्ष तक की आयु के बच्चे	निःशुल्क
	पूरी गोल्फ कार्ट (अधिकतम 6 व्यक्ति)	400
	• प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सफ़ारी भ्रमण (प्रति ट्रिप)	
	प्रति व्यक्ति	100
	5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	30
	5 वर्ष तक की आयु के बच्चे	निःशुल्क
	सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	1,000
10	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सूर्यास्त उपरांत सफ़ारी भ्रमण (प्रति ट्रिप)	
	प्रति व्यक्ति	300
	5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	150
	5 वर्ष तक की आयु के बच्चे	निःशुल्क
	सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यवित)	1,500

बैट्री चालित वाहनों हेतु उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत राशि देय होगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर में आगामी पर्यटन वर्ष 01 अक्टूबर, 2024 से प्रारंभ होने वाले सत्र में उक्त शुल्क पर्यटक द्वारा देय होगा। तत्पश्चात प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रूपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा। विदेशी पर्यटकों हेतु उक्त शुल्क तथा उप नियम 3(5) की तालिका में वर्णित शुल्क दुगुना होगा।

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 11(3)(ख) के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–
(ग) शेष अन्य संरक्षित क्षेत्रों हेतु पर्यटन वर्ष 2025–26 से प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रूपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा।

उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 14–82–1988–दस–2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के नियम क्र. एफ 14–82–1988–दस–2, दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

No. F 14-82-1988-X-2 Bhopal, the 22nd October 2024

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (h) of sub-section (2) of section 64 read with section 28 of the as amended Wildlife (Protection) Act, 1972, the State Government, hereby, make the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection)) Rules, 1974, namely:-

AMENDMENTS

In the sub-rule 3(4) of the Rule 34 of Madhya Pradesh Wildlife (Conservation) Rules, 1974, entry fee for Table (a) Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo is substituted as follows:-